न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर

भगतराम बनाम गोला वगै0

किस्म प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं0..२६९/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.2023	यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नं0 1210 रकबा 1.79 है0, 273 रकबा 0.34 है0, 630 रकबा 0.27 है0, 631 रकबा 0.22 है0, 775 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 776 रकबा 0.21 है0 खसरा नं0 779 रकबा 0.14 है0 खसरा नं0 780 रकबा 0.13 है0 खसरा नं0 781 रकबा 0.20 है0 खसरा न0 786 रकबा 0.31 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.02 है0 में सायल के हिस्से में हाल जमाबंदी में 1/5 से तक वाके ग्राम मीना बड़ौदा तहसील वजीरपुर में आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया जावे जिसका खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को पेश हो। [signature] पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से श्री [illegible] शर्मा Ad ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब को समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस से कि जावे। पत्रा दि 3/8/23 को पेश हो। [signature] उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (स0मा0)	

03/08/23

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21.09.23
को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

08/08/23 प्रार्थी ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश किया। मिसल तलबी के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ~~पेश कर~~ इसी स्टेज पर खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। प्रार्थी इस प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र ~~अस्थायी निषेधाज्ञा~~ स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उप जिला कलेक्टर
कजीरपुर (स०मा०)